न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 06/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. पियूष खत्री पुत्र श्री हेमराज खत्री उम्र-32 वर्ष **(एफबीओ)** फर्म मै.श्री मेघराज इण्डस्ट्रीज जी-13, मथानिया इण्डस्ट्रीज एरिया रामपुरा रोड़, मथानिया जोधपुर निवासी-नागौरी गेट के अन्दर, गोपाल भवन के पास, जोधपुर 2. श्रीमती सुमित्रा देवी **(मालिक)** फर्म मै.श्री मेघराज इण्डस्ट्रीज जी-13, मथानिया इण्डस्ट्रीज एरिया रामपुरा रोड़, मथानिया जोधपुर निवासी-नागौरी गेट के अन्दर, गोपाल भवन के पास, जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल वैष्णव उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 31.12.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग श्री मेघराज इण्डस्ट्रीज, जी-13, मथानिया इण्डस्ट्रीज एरिया रामपुरा रोड़, मथानिया जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर विक्रेता की हैसियत से श्री पियूष खत्री पुत्र श्री हेमराज खत्री उम्र 32 वर्ष निवासी नागौरी गेट के अन्दर गोपाल भवन के पास जोधपुर उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग हेतु सूजी, आटा व बेसन का निर्माण एवं पैंकिग वास्ते विक्रय हेतु कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी फार्म बी प्रमाण पत्र एफ एस एस ए अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां पेश की जिनके अनुसार इनकी फर्म की मालकिन श्रीमती सुमित्रा देवी है। निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने पर **सूजी (मारवाड़)** करीबन 200 पैकेट्स प्रत्येक 500 ग्राम के आम जनता हेतु विक्रय हेतु तैयार थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर रूबरू गवाहों श्री जयप्रकाश विश्नोई पुत्र श्री शंकरलाल विश्नोई निवासी ग्राम अजासर ग्राम पंचायत रोहिना तहसील फलोदी जिला जोधपुर एवं साथ गये श्री रेवंतसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 60/- नगद देकर **सूजी (मारवाड़)** के 500 ग्राम के 4 पैकेटस खरीदा तथा रूपयों की

रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **सूजी (मारवाड़)** के चारों मूल पैकेटस को अलग अलग चार गत्ते के डिब्बों में डालकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-988** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-988** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-988** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 01.01.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में एम-988 की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/01/एक्ट/2016/33 दिनांक 11.01.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं पैकिंग वास्ते विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन एवं कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद एवं मौका फर्द मूल, वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी वेट-03 प्रमाण पत्र एवं फार्म बी प्रमाण पत्र एवं एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र की प्रति, नमूना संख्या एम-988 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एम-988 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग अभिहित अधिकारी को जमा जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र 2116-17, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल.एस.01/एक्ट/2016/33 एवं न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र मूल एवं परिवाद की अतिरिक्त प्रति-2 प्रस्तुत की गयी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 16.08.16 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 20.11.17 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें बताया कि अप्रार्थी संख्या एक ने व्यापार में शुभ फलादेश के कारण उक्त फर्म का लाईसेंस अपनी

माता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी करवाया किन्तु उक्त फर्म मेघराज इण्डस्ट्रीज में श्रीमती सुमित्रा देवी सक्रिय व्यापार में शामिल नहीं है इसलिए केवल उनके नाम से जारी लाईसेंस के आधार पर श्रीमती सुमित्रा देवी को इस प्रकरण में अप्रार्थी नहीं बनाया जा सकता है। खाद्य पदार्थ सूजी (मारवाड़) का नमूना मिथ्या छाप नहीं था, केवल मात्र बैच नम्बर एवं कोड नम्बर नहीं लिखने की वजह से नमूना मिथ्या छाप नहीं हो सकता है। इसी तरह मिथ्या छाप के लिए रिपोर्ट में बताया गया कि Label for Best Before अंकित नहीं था परन्तु उसमें निर्माण की तारीख अंकित अवश्य थी किन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त लेबल के बारे में कोई जांच नहीं की, मात्र जन विश्लेषक जिसने लेबल को देखकर उक्त नियम की अवहेलना किया जाना बताया है वह इसके लिए सक्षम नहीं था। जन विश्लेषक मात्र खाद्य पदार्थ की जांच कर सकता है परन्तु निरीक्षण नहीं कर सकता। इसके अलावा जो नमूना सूची का सेम्पल परिवादी ने लिया है उसमें अप्रार्थीगण ने रेगूलेशन नम्बर 2.2.2 (10) खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Packing & Labeling) की पूर्णरूप से पालना की है। अप्रार्थीगण ने परिवादी व अन्य को कोई नुकसान नहीं दिया, ना ही कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया एवं न ही अप्रार्थीगण का कृत्य बारम्बार का है। उक्त उपबन्ध की जानकारी नहीं होने की वजह से अप्रार्थीगण निर्दोष है। अत: अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 52 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थीगण पर शास्ति रूपये 20,000/- (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 19.12.2017 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर